रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15062022-236611
SG-DL-E-15062022-236611

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2022/ज्येष्ठ 25, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 142
No. 21]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2022/JYAISTHA 25, 1944	[N. C. T. D. No. 142

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जून, 2022

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(15)/2021/17022.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

सं. 479/2022.—यत:भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि की समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 56 के खण्ड (1) के अनुसार तारीख 24 जुलाई, 2022को होने वाली है; और

यत: संविधान के अनुच्छेद 62 के खण्ड (1) के अनुसार, उनकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व पदधारी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित है; और

यत: राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन के लिए तारीख इस तरह नियत की जानी अपेक्षित है कि यह निर्वाचन समय के अन्दर पूरा हो जाए ताकि इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार वर्ष 2022 की जुलाई के पच्चीसवें दिन को ग्रहण कर सके।

अत: अब, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा: –

(अ) संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान राष्ट्रपति की अवधि खत्म होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

(आ) उक्त अधिनियम् की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है:

(क)	नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	: 29 जून, 2022(बुधवार)
(ख)	नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	: 30 जून, 2022(गुरुवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	: 02 जुलाई, 2022(शनिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा	: 18 जुलाई, 2022(सोमवार)

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

आदेश से,

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 15th June, 2022

No. CEO/COE/102(15)/2021/17022.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2022

No. 479/2022.— Whereas, the term of office of Shri Ram Nath Kovind, President of India, is due to expire, in terms of clause (1) of Article 56 of the Constitution, on the 24th Day of July, 2022; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 62 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the vacancy in the office of the President of India that the election will be completed at such time as will enable the President thereby elected to enter upon his/her office on the 25th Day of July, 2022;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

(A) **calls upon** the Electoral College, referred to in Article 54 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of President of India before the expiration of the term of the incumbent President, in accordance with the provisions of the Constitution,

the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

(B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, **appoints -**

(a) the 29th June, 2022 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 30th June, 2022 (Thursday), as the date for scrutiny of the nominations;

(c) the 02nd July, 2022 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and

(d) the 18th July, 2022 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Sr. Pr. Secy.

By Order,

RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.15 22:48:37 +05'30'